राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2060/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
राजेश भारद्धाज प्लाट नं- 574 बी गली नं- 6 राजापार्क जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐ जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 02-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.डी. शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 3-7-17 के द्वारा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर के पत्र दिनांक 21-4-17 की अनुपालना के क्रम में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिये गये पत्रों की प्रमाणित प्रति एवं उक्त पत्र के क्रम में प्रत्यर्थी कार्यालय शाखा में संधारित सम्पूर्ण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि मय नोटशीट चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 1-5-18 के साथ सूचना संलग्न कर प्रेषित की गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 1-5-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से स्पष्ट है कि

अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्रांक 537 दिनांक 1-5-18 के द्वारा प्रेषित कर दी गई है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का प्रेषण करने में विलम्ब कारित हुआ है परन्तु कारित विलम्ब में प्रत्यर्थी की कोई बदनियति परिलक्षित नहीं होती है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को सावचेत किया जाता है कि भविष्य में वह प्राप्त होने वाले सूचना के आवेदनों के सम्बन्ध में सूचना/विनिश्चय आवेदकों को धारा 7(1) के तहत प्राविधित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त